

कार्यालय निदेशक:- हे०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टि०ग०)

विज्ञप्ति संख्या/01/छात्रावास मैस/निविदा 2022-23

दिनांक:- 20.07.2022

निविदा सूचना

हमें नन्दन बहुगुणा ग०वि०वि० परिसर बादशाहीथौल टिहरी वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष एवं महिला छात्रावास में भोजन आपूर्ति हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी वि०वि० की वेबसाईट www.hnbgu.ac.in के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक निविदादाता, निविदा फार्म वि०वि० के वेबसाईट www.hnbgu.ac.in से दिनांक 02.8.2022 तक डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

निविदाओं के निदेशक कार्यालय छात्रावास अनुभाग में शील्ड लिफाफे जमा करने की अन्तिम तिथि 05.08.2022 के साथ 5.00 बजे तक है। निविदाओं को निदेशक द्वारा गठित समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समुख दिनांक 06.08.2022 को अपराह्न 2.00 बजे खोला जायेगा।

निदेशक

ग० न० व० गद्वाल विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
परिसर बादशाहीथौल
उत्तराखण्ड

संयोजक/ उप-छात्रावास अधीक्षक

हे० न० ब० गद्वाल विश्वविद्यालय
परिसर बादशाहीथौल
टिहरी अन्तर्राष्ट्रीय (उत्तराखण्ड)
फ़िल्म-249199

कार्यालय निदेशकः— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौल टिहरी(टिंग०)

विज्ञप्ति संख्या/01/निविदा 2022-23

दिनांक:— 20.7.2022

भोजन निविदा—प्रपत्र
वित्तीय वर्ष—2022-23

निविदा प्रपत्र के चार भाग हैं।

- (क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें
- (ख) साप्ताहिक मैनू
- (ग) तकनीकी विड
- (घ) प्राईज विड

प्रपत्र(क) भोजन व्यवस्था के निविदादाताओं के लिए निर्देश एवं शर्तें :-

1. स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल टिहरी की छात्रावास समिति की ओर से छात्र/छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु मैस संचालकों निविदादाताओं/ठेकेदारों से शील्ड निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदादाता को निविदा फार्म प्रपत्र (क), साप्ताहिक मैन्यू प्रपत्र (ख) तथा तकनीकी विड प्रपत्र(ग) के प्रत्येक पेज/पृष्ठ पर सहमति हस्ताक्षर कर उक्त से सम्बन्धित याचित प्रमाण पत्रों की फोटोप्रतियों को ए-4 साइज लिफाफे के अन्दर रखकर शील्ड लिफाफा जमा करना होगा। तथा प्राईज विड का प्रपत्र (घ) का छोटा लिफाफा भी शील्ड कर जमा करना होगा।
2. निविदा प्रपत्र वि०वि० की वेबसाइट www.hnbgu.ac.in से डाउनलोड कर दिनांक 05. 08.2022 सायं 5 बजे तक शील्ड लिफाफे में परिसर निदेशक कार्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए।
3. निविदाकर्ता को दोनो मैस (पुरुष तथा महिला) में से एक ही मैस आवैटित की जायेगी। प्रथम आवैटन पुरुष छात्रावास मैस का होगा तथा यदि किसी निविदादाता को पुरुष छात्रावास मैस आवैटित हो जाती है तो उस निविदादाता को द्वितीय निविदा आवैटन (महिला छात्रावास) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (यदि निविदादाता की दो निविदायें हो)
4. निविदायें निदेशक द्वारा गठित मैस समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समुख दिनांक 06.08.2022 को अपराह्न 2 बजे खोली जायेंगी।
5. संलग्न निर्धारित मैनू के अनुसार पुरुष/महिला छात्रावास के भोजन की व्यवस्था प्रतिदिन करनी होगी जिसमें सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन, सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्री का भोजन शामिल होगा।
6. ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को भोजनालय में नियमित उपस्थित रहना आवश्यक होगा ताकि व्यवस्थागत अनुश्रवण के साथ-2 परिसर प्रशासन के सम्पर्क में रह कर किसी भी शिकायत का त्वरित निदान करवाया जा सके।
7. माह मई 2023, अथवा ग्रीष्मावकाश के लिए बन्द होने तक बिना किसी व्यवधान के भोजन की नियमित आपूर्ति करनी होगी।

8. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म के साथ निविदा प्रतिभूति (धरोहर) राशि के रूप में ₹० 5000.00 का डिमाण्ड ड्राप्ट / बैंकर्स चैक जो निदेशक एस०आर०टी परिसर बादशाहीथौल के पक्ष में सलंगन करना होगा । न्यूनतम प्रथम या आवैटित निविदाओं के अतिरिक्त अन्य निविदादाताओं की धरोहर धनराशि का डिमाण्ड ड्राप्ट/एफ०डी०आर० अथवा बैंकर्स चैक धनराशि वापस कर दी जायेगी ।
9. निविदा स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित निविदादाता को निविदा खुलने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर ₹० 2,00,000.00 (दो लाख मात्र) कार्यपूर्ति राशि एफ०डी०आर०टी०डी०आर निदेशक है०न०ब०ग०वि०वि० परिसर बादशाहीथौल 'टिहरी के नाम बन्धक बनाकर जमा करना होगा, साथ ही ₹० 100.00 के ज्ञान जूडिशियल स्टाप्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र निष्पादन करना होगा । सत्र आरम्भ अथवा छात्रावास में प्रवेशार्थियों के प्रवेश होने पर कार्यादेश/आफर लेटर जारी किया जायेगा । मैस आरम्भ करने के आदेश निर्गत होते ही मैस आरम्भ करनी अनिवार्य है ।
10. एफ०डी०आर० बन्धक राशि 2.0 (दो लाख) जमा होने पर, निविदादाता को प्रतिभूति राशि ₹० 5000.00 डिमाण्ड ड्राप्ट /बैंकर्स चैक निविदा दाता को वापस किया जायेगा ।
11. ठेकेदार को खाना बनाने के लिए बर्तन ईंधन/गैस भट्टी, गैस सलेन्डर अथवा मैस में काम आने वाले बर्तन (जैसे डॉंगा,चम्च,हाटकेश आदि प्रत्येक टेबल के हिसाब से) एवं भोजन बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामाग्री जैसे खाद्य/भोजन सामाग्री मीनू के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली सब्जी,दाल,चावल,आटा आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं करनी होगी ।
12. ठेकेदार को अच्छे/उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य सामाग्रीयों का उपयोग करना होगा, जिसका निरीक्षण परिसर स्तर पर गठित समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन/समय-2 पर भोजन बनाने से पूर्व किया जायेगा । निरीक्षण के दौरान यदि कोई सामाग्री अच्छे/उच्च गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो ठेकेदार को सामाग्री बदलनी होगी ।
13. ठेकेदार को परिसर समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा पर ही प्रातः चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन,सायं की चाय के साथ स्नैक्स एवं रात्रि के भोजन की आपूर्ति करनी होगी । परिसर प्रशासन द्वारा किसी समय और परिस्थिति के अनुरूप आंशिक परिवर्तन किया जा सकता है, इसकी पूर्व सूचना सम्बन्धित व्यवस्थापक को दी जायेगी ।
14. ठेकेदार को भोजन तैयार करने से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के लिए स्वयं कर्मचारी रखने होंगे । (पुरुष छात्रावास में ०८ तथा महिला छात्रावास में ०५ कर्मचारी रखने होंगे) इस हेतु परिसर द्वारा अलग से कोई सहायता देय नहीं होगी । कर्मचारी छात्रावास संचालन हेतु समय समय पर बनायें जाने वाले नियमों/दिशा निर्देशों का पालन करेंगे । कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी क्षति एवं एवं अनुशासनहीनता हेतु सम्बन्धित ठेकेदार जिम्मेदार होगा । अनुशासनहीनता की स्थिति में उक्त कर्मचारी का बिना कारण बतायें तुरन्त परिसर से बाहर कर दिया जायेगा । मैस कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर भोजन बनायेंगे तथा परोसेंगे ।
15. परिसर प्रशासन द्वारा ठेकेदार को भोजन तैयार करने हेतु भोजनालय, डायनिंग हाल एवं स्टोर कक्ष उपलब्ध कराये जायेंगे, जिसकी स्वच्छता एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित ठेकेदार की होगी । डायनिंग हाल में टूट-फूट एवं मरम्मत पर आने वाले व्यय का वहन ठेकेदार को ही करना होगा ।

16. विजली एवं पानी की व्यवस्था परिसर प्रशासन की होगी, ठेकेदार को मैस में हीटर का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होगा। मैस ठेकेदार को मैस का किराया ₹0 2000 तथा विधुत किराया ₹0 1000 प्रति माह की 10 तारिख तक स्वयं छात्रावास कार्यालय में जमा करना होगा।
17. अस्वस्थ छात्र/छात्राओं को खिचड़ी/दलिया इत्यादि जैसे भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
18. भोजन तैयार करने हेतु परिवेश की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देगा होगा। डायनिंग हाल की रोज पानी से धुलाई, शौचालय की सफाई करवानी होगी। बच्चे हुआ भोजन, जूठन, कूड़ा आदि नालियों में बहाकर गन्दगी नहीं फैलायी जायेगी। बच्चे भोजन को एकत्र कर परिसर से बाहर ले जरकी निस्तारण की व्यवस्था करनी होगी। नालियों की सफाई प्रतिदिन करानी होगी, इसके लिए सफाई कर्मियों को भुगतान ठेकेदार को करना होगा।
19. सम्बन्धित ठेकेदार को अपना कान्ट्रैक्ट किसी दूसरे को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा, अन्यथा की स्थिति में कान्ट्रैक्ट तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा, साथ ही जमानत राशि जब्त की दी जायेगी।
20. ठेकेदार को प्रत्येक माह छात्र/छात्राओं से भोजन धनराशि को अपने स्तर से लेना होगा।
21. परिसर में अधिकारिक अवकाश के दिनों में अनुपस्थित छात्रों से भोजन का बिल नहीं वसूला जायेगा।
22. निविदादाता के लिए परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा अधिकतम निविदा दर ₹0 120.00 प्रतिदिन प्रतिछात्र निर्धारित की गयी है। दरें पूर्ण रूपये में दी जाय, पैसे में अंकित की गयी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
23. संलग्न मैन्यू के अतिरिक्त यदि कोई निविदादाता अन्य सुविधा भी देना चाहता है तो उसका निविदा में स्पष्ट उल्लेख करें।
24. निविदा में निर्धारित अधिकतम दर एवं निविदादाता द्वारा दी गयी दर में यदि 10 प्रतिशत से अधिक का अन्तर पाया जाता है तो निविदाओं के संबन्ध में निविदादाता द्वारा परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निर्णय समिति का होगा।
25. निविदादाता को संलग्न मैनू के अनुसार ही अपनी भोजन दरें प्रतिदिन प्रति, छात्र के लिये देनी होगी।
26. निविदा स्वीकार होने पर सम्बन्धित ठेकेदार को अनुबन्ध करना पड़ेगा और निविदा प्रपत्र में उल्लिखित शर्तों व निर्देशों का पूर्ण पालन करना होगा।
27. ठेकेदार को शासकीय नियम अनुसार आयकर एवं विक्रय कर स्वयं अपने स्तर से जमा करना होगा।
28. निविदा स्वीकार करने की स्थिति में निविदादाता को यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि परिसर में निविदादाता तथा उसके कर्मचारियों का पूर्ण विवरण फोटो सहित सम्बन्धित कर्मचारियों के पतों के सत्यापन के साथ परिसर प्रशासन को एक सप्ताह के अन्दर

उपलब्ध कराना होगा तथा किसी भी प्रकार का नशा या धूम्रपान, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं किया जायेगा, अन्यथा निविदा को निरस्त करने का अधिकार परिसर प्रशासन को होगा।

29. भोजनालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र जिला चिकित्सालय से बनवाकर एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना होगा। कर्मचारी बदलने पर भी यही प्रक्रिया अपनानी होगी। कर्मचारी बदलने पर लिखित सूचना परिसर छात्रावास कार्यालय को तत्काल देनी होगी।
30. किसी पाली विशेष में मैनू के अनुसार भोजन/नाश्ता उपलब्ध न कराने अथवा गुणवत्ता युक्त न होने की स्थिति में वार्डन की रिपोर्ट के आधार पर भुगतान से कटौती की जायेगी और ऐसी गम्भीर शिकायत तथा अव्यवस्था के प्रति तीन बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त कान्फ्रेक्ट निरस्त किया जायेगा एवं प्रतिमूर्ति राशि जब्त कर दी जायेगी।
31. किचन में अग्नि सुरक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। भोजन बनाते समय पूर्ण सावधानी से कार्य किया जाना अपेक्षित है।
32. मैस की नालियाँ चोक होने पर तथा गडडे भरने पर, नालीयों/गडडे की सफाई आदि कार्य स्वयं ठेकेदार को अपने खर्च पर करना होगा।
33. मैस में ठेकेदार को अपना गीजर लगाना होगा।
34. परिसर प्रशासन एक माह का नोटिस तथा मैस संचालक तीन माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त कर सकते हैं।
35. टेण्डर प्रक्रिया के दौरान एवं टेण्डर खुलने के बाद भी परिसर प्रशासन को टेण्डर निरस्त करने का अधिकार होगा।
36. निविदादाता यह सुनिश्चित करेंगे कि मैस में कार्य करने वाले श्रमिक श्रम कानून के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं, इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मैस संचालक का होगा।
37. जिन निविदादाताओं ने पूर्व में परिसर में मैस संचालन का कार्य किया है उनको परिसर प्रशासन से सन्तुष्टि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
38. निविदा फार्म के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करें तथा निविदा खुलने के दिन मूल प्रमाण पत्र समिति के समुख प्रस्तुत करना होगा अपूर्ण निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
 - (a) सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त फूड वैध लाईसेन्स की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
 - (b) निविदादाता को व्यापार कर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है अतः वैध (जी०एस०टी पंजीकरण) प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।
 - (c) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह की अवधि के अन्तर्गत का हो।
 - (d) निविदादाता द्वारा आवासीय विद्यालय/सरकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान/शैक्षणिक संस्था में गत दो वर्षों में मैस संचालन का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले अधिकारी का कार्यालय दूरभाष नम्बर भी प्रमाण पत्र में अंकित करें।
 - (e) स्थायी आयकर संख्या (PAN CARD) की छायाप्रति।

- (f) कर निर्धारण विगत दो वर्षों 2018-19 एवं 2019-20 का आयकर रिटैन की प्रति संलग्न करनी होगी।
- (g) निविदा फार्म के साथ प्रतिशूलि (धरोहर) राशि के रूप में ₹ 5000.00 का बैंक ड्राइट निदेशक है० न० ब० ग० वि० वि० बादशाहीथौल के नाम बनाकर संलग्न करना अनिवार्य है।
- (h) निविदादाता के पास मैस संचॉलन कार्यों में पिछले 02 वर्षों में न्यूनतम द्रनओवर पन्द्रह लाख प्रतिवर्ष होना आवश्यक है इस हेतु सी०ए० द्वारा प्रमाणित वैलेंस सीट एवं द्रनओवर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- (i) निविदादाता की फर्म किसी भी सरकारी /आवासीय विद्यालय /शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए इस आशय का नोटरी द्वारा शपथ पत्र निविदादाता द्वारा 100 के स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
- (j) यदि निविदादाता द्वारा आपूर्ति की खाद्य सामग्री के सेवन से किसी छात्र/छात्रा को नुकसान होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस आशय का शपथ पत्र 100 रु० के स्टाम्प पेपर देना होगा। यदि निविदादाता के उक्त प्रमाण पत्र गलत पाये गये तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी (निविदादाता की) इस आशय का शपथ पत्र 100 रु० के स्टाम्प पेपर देना होगा। यदि निविदादाताओं को निविदा प्रक्रिया से वंचित कर दिया जायेगा।
- (k) निविदादाता को कम संख्या, i, j, k तक के शपथ पत्रों को एक ही स्टाम्प पेपर पर दिया जा सकता है।
- नोट:-**


निदेशक
निदेशक
 है० न० ब० ग० गढ़वाल विश्वविद्यालय
 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
 राजसीधीय परिसर सादशाहीथौल
 गढ़वाल (उत्तराखण्ड)


संयोजक/उप-छान्द्रमास्त्राधीक्षक
 है० न० ब० ग० ग० गढ़वाल विश्वविद्यालय
 स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल
 दिल्ली गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
 पिन-249199

प्रपत्र (ख) 2022–2023

कार्यालय निदेशकः— हे०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथोल टिहरी(टिंग०)
छात्रावास भोजन मैन्यू

दिन/वार	नाश्ता	दोपहर भोजन	सायं 4 वजे	रात्रि भोजन
रविवार	उबले आलू, टमाटर की सब्जी तथा रोटी एवं पूरी चाय	राजमा, चावल, रोटी, सब्जी खीर, सलाद	सायं की चाय के साथ सिनैक्स अधिकतम रु० 5.00 के मुल्य का	मल्का दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
सोमवार	आलू गोभी परांठा, अचार, दही चाय	दाल मखनी, चावल, रोटी, सब्जी, खीर, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड्ड चना, आलू गोभी या आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
मंगलवार	छोले (कावली चना) सादा परांठा चाय	कड़ी, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद	प्रतिदिन	उड्ड छिलका दाल, मिण्डी की सब्जी, चावल, रोटी, सलाद
बुद्धवार	छोले भट्ठरे चाय	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर, आलू बीन की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
बृहस्पतिवार	आलू गोभी मूली के परांठा अचार दही चाय	उड्ड राजमा मिक्स दाल, चावल आलू गोभी की सब्जी रोटी, सलाद	प्रतिदिन	मसूर की दाल, आलू न्यूट्री की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद
शुक्रवार	उबले आलू, टमाटर एवं पनीर की सब्जी, रोटी एवं पूरी चाय	मिक्स दाल आलू बैंगन की सब्जी, रोटी चावल सलाद	प्रतिदिन	काला चना, पत्ता गोभी की सब्जी, रोटी चावल, सलाद
शनिवार	आलू मटर की (गार्डी ग्रेवी) की सब्जी सादा परांठा चाय	अरहर दाल, आलू पालक की सब्जी, रोटी, चावल, सलाद	प्रतिदिन	दाल उड्ड चना, बैंगन भर्ता, चावल रोटी, सलाद

नोट:- 1—प्रत्येक बुद्धवार को रात्रि भोजन में (शाही पनीर अथवा कड़ाई पनीर)

2—मैन्यू में सब्जियां मौसम के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है, किन्तु यह परिवर्तन तभी मान्य होगा जब मैन्यू में दी गयी सब्जी बाजार में उपलब्ध न हो।

3—प्रत्येक दिन सलाद में मूली, प्याज, गाजर या खीरा या अन्य सामाग्री जो बाजार में उपलब्ध हो अनिवार्य रूप से देनी होगी।

4—छात्र/छात्रा की वीमारी की दशा में खिचड़ी या दलिया उपलब्ध करना होगा।

5—सुबह नाश्ते के साथ चाय तथा सायं 4 वजे प्रतिदिन अच्छी किस्म की चाय देनी होगी

6—सब्जी प्रति दिन बदल बदल कर बनानी होगी

प्रपत्र— (ग) 2022-2023

कार्यालय निदेशक:— है०न०ब०ग०वि०वि०परिसर बादशाहीथौलटिहरी(टि०ग०)

तकनीकि विड

1. निविदादाता का नाम.....
 2. पता.....
फोन न० कार्यालय..... मोबाइल न०.....
 3. फर्म का नाम व पता.....

 4. व्यापार कर प्रमाण पत्र (G.S.T Number).
(नियम शर्तों के अनुसार कर भुगतान प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
 - 5- स्थाई आयकर खाता संख्या(PAN NO)-----
नियम शर्तों के अनुसार विगत दो वर्षों (2018-19 व 2019-20 का आयकर रिटैन का प्रमाण पत्र तथा Pan Card की छाया प्रति संलग्न करें
 - 6- धरोहर राशि का विवरण
(क) बैंक ड्राप्ट / एफ०ड०आर० न० / बैंकर्स चैक..... (ख) दिनांक.....
(ग) धनराशि.....
 7. कार्य अनुभव:— (नियम शर्तों के अनुसार).....
- | | | |
|-----------------|-----|----|
| संलग्न का विवरण | 1. | 2 |
| | 3. | 4 |
| | 5.. | 6. |
| | 7. | 8. |

दिनांक:

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम:

पूरा पता:

प्रपत्र— (घ)

कार्यालय निदेशकः— है०न०व०ग०विंविंपरिसर बादशाहीथोल टिहरी(टिंग०)

वित्तीय विड 2022-2023
बिल आफ क्वांटिटी

महोदय,

मैं निविदादाता परिसर छात्रावास मैस समिति द्वारा निर्धारित मैनू के आधार पर भोजन की आपूर्ति हेतु सहमत हूँ।

अतः प्रातः कालीन नाश्ते से सुवह की चाय लेकर रात्रि तक की भोजन व्यवस्था हेतु प्रतिदिन की दर निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश एवं शर्तों का भली भौति अध्ययन कर लिया गया है।

इकाई	दर प्रति छात्र प्रतिदिन (दर पूर्ण रूपये में दी जाय)
दर प्रति छात्र, प्रति दिन, (प्रपत्र) (ख) में निर्धारित मैनू अनुसार)	रूपये (अंकों में)..... शब्दों में

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता.....

नामः—

पता:-

मोबाइल नॉ:-